संख्या : 511/चौवालिस–2-1990

प्रेषक,

श्री आर० रमणी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों
नोयडा एवं बीडा के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक : 11 अप्रैल, 1990

विषय : प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्या–47/10–सं०वि०–3(1)/90, दिनांक 9 मार्च; 1990 (प्रति संलग्नक) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए राज्यपाल महोदय सांविधिक निगमों से सम्बन्धित अधिनियमों/नियमों, कम्पनीज एक्ट 1956 अथवा सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सार्वजनिक उद्यमों के आर्टिकिल्स आफ एसोसिएशन के सम्बन्धित आर्टिकिल तथा उत्तर प्रदेश सार्वजनिक उद्यमों पर नियंत्रण अधिनियम 1975 (उ० प्र० अधिनियम संख्या–41 सन् 1975) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देते हैं कि उक्त शासनादेश में निहित निर्देशों का अनुपालन अपने सार्वजनिक उद्यम में सुनिश्चित कराने की कार्यवाही करें।

2- इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि सरकारी सेवकों के बाह्य सेवा पर जाने के लिए कुछ मानक शर्तें निर्धारित की गयी है और शासन द्वारा ऐसे स्पष्ट निर्देश भी दिये गये हैं कि बाह्य सेवा पर स्थानान्तरित किये गये सरकारी सेवकों को शासन की अनुमति के बिना ऐसी कोई सुविधा बाह्य सेवायोजक द्वारा नहीं दी जा सकती जिसका उल्लेख उसकी बाह्य सेवा सम्बन्धी आदेशों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों में न हो। फिर भी यह देखने में आया है कि बाह्य सेवा योजकों द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों को कुछ ऐसे सुविधाएं दे दी जाती है जो उनको किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होती अथवा गलत विवेचना के आधार पर प्राप्त कर ली जाती है, जिसे देखकर उसी स्तर के अन्य अधिकारियों में प्रनियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है एवं इससे निगमों के समकक्ष स्तर के संवर्गीय अधिकारियों में असन्तोष भी होता है। फलस्वरूप इस प्रकार की सुविधाएं निगम के संवर्गीय अधिकरियों को भी अनुमन्य करायें जाने हेतु अनुचित दवाब पड़ते हैं। इन्ही परिस्थितियों में विवश होकर प्रस्तर–1 में संदर्भित शासनादेश में शासन को ऐसे निर्देश देने पड़े कि प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारियों को वाहन, आवास तथा टेलीफोन की सुविधा के अतिरिक्त कोई ऐसी सुविधा अनुमन्य न की जाय जो उनके पैतृत विभाग में तैनात होने की दशा में अनुमन्य न होती।

3- उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल महोदय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कार्मिकों (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों सहित) के सम्बन्ध में यह भी निर्देश देते हैं कि :–

(1) उन्हें एक्स ग्रेशिया का भुगतान न किया जाय और यदि इस प्रकार का कोई भुगतान कर दिया गया है तो उसकी वसूली कर ली जाय।

(2) शासनादेश संख्या–2587/ब्यूरो–77-5-75, दिनांक 25 जनवरी, 1977 के अनुसार उन्हें किसी प्रकार के दीर्घकालीन अग्रिमों जैसे मकान बनवाने अथवा गाड़ी खरीदने आदि के लिए अग्रिम की स्वीकृति न प्रदान की जाय। अतः इस प्रकार के अग्रिमों की स्वीकृति के लिए सम्बन्धित अधिकारी के प्रार्थना पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु पैत्रक विभाग को अग्रसारित कर दिये जायं।

(3) चिकित्सा भत्ते का भुगतान न किया जाय। उन्हें शासनादेश संख्या–4368/44-1/79-169/75 दिनांक 24-12-79 में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार वही चिकित्सा सुविधा अनुमन्य करायी जाय जो सरकारी सेवा में अनुमन्य होती। तात्पर्य यह है कि सम्बन्धित सेवक द्वारा कराये गये चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति उसके समकक्ष स्तर के अधिकारियों के लिए नियमानुसार अनुमन्य सुविधाओं की सीमा तक सरकारी अस्पताल में लागू दरों पर ही की जाय। यदि इससे अधिक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रश्न निहित हो तो उसी स्तर के सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सम्बन्धित सेवक के पैत्रक विभाग की अनुमति के बिना व्यय की प्रतिपूर्ति नही की जायगी।

4- इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस विषय पर पूर्व में निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत यदि कोई प्रतिकूल व्यवस्था की गयी हो तो उसके होते हुए भी इस शासनादेश में की गयी व्यवस्था को ही लागू माना जायगा।

भवदीय,
[आर० रमणी]
सचिव।

संख्या : 511(1)/चौवालिस–2/1990, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के समस्त सचिव/विशेश सचिव।
(2) समस्त प्रशासकीय अनुभाग।
(3) वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग।
(4) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1

आज्ञा से,
[आर० एन० सिन्हा]
अनु सचिव।